

क्रमांक : शिक्षा-यू (जी-3)डी.एम / 2018- 9925

कार्यालय

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर

ऊना जिला ऊना हि0प्र0

दिनांक: ऊना -174303

15/1.2019


सेवा में

समत प्रधानार्च / मुख्याध्यापक ✓
रा0व0मा0पा0 / रा0उ0पा0

विषय:- **Hon'ble Prime Minister's direction regarding in the schools Safety**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के बारे में शिक्षा निदेशक उच्चतर हि0प्र0 शिमला के पत्र संख्या: शिक्षा-एच (9)5-2/2018डी. डी एच इ-दिनांक जनवरी 2019 के सन्दर्भ में छायाप्रति भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि आप पाठशाला के पुराने कमरों को उसके अनुसार सम्बन्धित पाठशाला Xen.HPPWD से सम्पर्क करके निरीक्षण रिपोर्ट और भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यो बारे विशेषकर नए स्कूल भवनो/कक्षा कक्ष या अन्य जगहों जहां पर विद्यार्थी पाठय-पाठन एवं पाठशाला दिनचार्य में अधिकांश समय वीते वहां विद्यार्थीयो की सुरक्षा को घ्यान में रखते हुए नवनिर्माण करवाने से पहले जगह की Sites उचित जांच सम्बन्धित (Xen.HPPWD) द्वारा अवश्य करवाए 1 किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए खुद जिम्मेवर होंगे 1 इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पाच के भीतर विशेष सन्देश वाहक द्वारा उपलब्ध करवाये 1 ताकि समय पर समेकित करके रिपोर्ट शिक्षा निदेशक हि0प्र0 शिमला को भेजी जा सके 1 देरी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हो होंगे 1
सलग्न :- एक


शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या सम: दिनांक ऊना-174303

2018

प्रतिलिपि:-

1. शिक्षा निदेशक उच्चतर हि0प्र0 शिमला को सूचना हेतु प्रेषित है 1
2. अधिशाषि अभियन्ता मण्डल ऊना हि0प्र0 ऊना/भरवाई/बंगाणा को छायाप्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है


शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0

संख्या: शिक्षा-एच(9)5-2/2018-डी.डी.एच.इ-
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

सेवा में

1. संभरता प्राचार्य,
राजकीय डिग्री कॉलेज / सरकूल कॉलेज, रिमोडा
2. उप-शिक्षा निदेशक(उच्चतर),
विलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कामडा स्थित धर्मशास्त्रा, कुल्लू, किलौर स्थित रिमोडा
लाठसो, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, उना, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-171001

जनवरी, 2019

विषय-
ज्ञापन

Hon'ble Prime Minister's directions regarding the School Safety.

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनके पत्र संख्या राजस्व(डीएमसी)(एफ)11-14/2016 दिनांक 21.12.2018 का मध्यम से निर्देश हुआ है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण की दिनांक 18.11.2018 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में गद संख्या-(C) में हुए निर्णय निम्न प्रकार से है -

(c) The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

उपर्युक्त के दृष्टिगत स्कूल भवनों के निर्माण के लिए साइटों का चयन उपरोक्त निर्णय अनुसार प्राथमिकता के आधार पर, व्यक्तिगत रुचि लेकर, बिना किसी विलम्ब के करवाना सुनिश्चित करें ।
भवदीय,

(डॉ० राकेश भारद्वाज),
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

dlhe-sml-hp@nic.gov.in, Phone No. 0177- 2656621
जनवरी 2019

Sh. Anwar

webinli

9-3

9/1/19

पुष्टांकन सम संख्यांक दिनांक शिमला-171001
प्रतिलिपि -

- 1)
- 2)
- 3)

प्रधान सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
तकनीकी अधिकारी(कम्प्यूटर), उच्चतर शिक्षा निदेशालय को इस कथन के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त निर्देश के प्रकाशन उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर कृतार्थ करें ।
आपका सामान्य शाखा उच्चतर शिक्षा निदेशालय को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अभिगम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

K. Sankar
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

6060
9-1-19